

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

जमानत आवेदन क्रमांक 186 / 18

आकाश शर्मा पुत्र नागेंद्र आयु 20 वर्ष निवासी
ग्राम विरखडी थाना गोहद चौराहा तहसील गोहद
भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद चौराहा

-----अनावेदक

29-05-2018

संबंधित श्रीमान पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से श्री पी.एन. भट्टेले अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक 109/18 अंतर्गत धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एन. भट्टेले द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन धारा 437 दं0प्र0सं0 का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री पी.एन. भट्टेले द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद चौराहा ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि आवेदक से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 22.05.18 से न्यायिक निरोध में है। आवेदक नवयुवक होकर मजदूर परिवार का कर्ताधर्ता व्यक्ति है। यदि उसे अधिक समय तक जेल में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो जायेगी। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया

है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये पुलिस प्रतिवेदन सहित संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 109/18 अंतर्गत धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध जाकर अभियुक्त के कब्जे से लोडेड कट्टा जप्त होना बताया गया है। उक्त अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय नहीं होकर जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। आवेदक/अभियुक्त 20 वर्षीय नवयुवक होकर दिनांक 23.05.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्त को मजदूर पेशा परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होने से जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से निम्न शर्तों सहित 30,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1. प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड